नागरिक विविध

एच. आर. सोढ़ी से पहले, जे.

बी. डी. गुप्ता,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी

1967 की सिविल रिट संख्या 2645

6 सितम्बर 1968

पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम (1952) - नियम 7 और 8 - नियम 7 के तहत सरकारी अधिकारी के खिलाफ फिर से जांच - सरकार - क्या ऐसी जांच को छोड़ सकती है और छोटी सजा लगाने से पहले नियम 8 के तहत छोटी सजा लगा सकती है - ऐसे अधिकारी-क्या नियम 7 के अनुसार नियमित जांच का दावा कर सकते हैं-नियम 8 के तहत जांच-सरकारी अधिकारी-क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का हकदार है।

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I-नियम 7.3-उचित जांच के बाद निलंबित अधिकारी की बहाली-नियम 7.3 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान देय वेतन और भत्ते में कटौती का आदेश-आदेश से पहले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस- क्या आवश्यक-ऐसा आदेश क्या परिणामी आदेश।

माना गया कि पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम (1952) के नियम 7 और 8 में संचालन का पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र है और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। यदि सरकार किसी सिविल सेवक के खिलाफ बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या रैंक में कटौती की बड़ी सजा देने का निर्णय लेती है और नियमों के नियम 7 के तहत कार्यवाही शुरू करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 311 में अपेक्षित समान जांच की परिकल्पना की गई है, तो यह खुला है उसे उस जांच को रद्द करने और मामले की परिस्थितियों के अनुसार नियम 8 में उल्लिखित कोई भी छोटी सजा देने का निर्णय लेने के लिए कहा। नियम 8 में नियम 7 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकती है और एक के तहत कार्रवाई दूसरे को रोकती नहीं है। 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' शब्द केवल इतना ही दर्शाते हैं कि नियम 8 को नियम 7 के संचालन को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करना चाहिए और नियम 7 या 8 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं यह पूरी तरह से सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।

(पैरा 16)

यह माना गया कि मामूली जुर्माना लगाना, जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण साबित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति के भीतर है, इस शर्त के साथ कि ऐसा कोई भी जुर्माना लगाने से पहले, दोषी अधिकारी को एक उचित जवाब दिया जाना चाहिए। नियमावली के नियम 8 के तहत अभ्यावेदन देने का अवसर। यह सच है कि प्रस्तावित अधिरोपण के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर की आवश्यकता है।
मामूली दंड में कथित अपराध के खिलाफ अवसर और सजा की मात्रा दोनों शामिल हैं और यह वास्तविक होना चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नियम 7 द्वारा सोची गई तर्ज पर ही जांच की जानी है। बस इतना आवश्यक है कि अपराधी अधिकारी को उस मामले की जानकारी होनी चाहिए जिसमें उसे मिलना है, जिसमें उस सामग्री या साक्ष्य का विवरण भी शामिल होना चाहिए जिस पर उसके खिलाफ मामला आधारित है। यह केवल अभ्यावेदन करने का एक अवसर है, न कि यह कि दोषी अधिकारी गवाहों को बुलाने, उनसे जिरह करने और फिर संविधान के नियम 7 या अनुच्छेद 311 द्वारा अपेक्षित विस्तृत जांच के अनुसार निष्कर्ष की उम्मीद करने का हकदार है।

(पैरा 17 एवं 18)

माना गया कि किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, व्यक्तिगत सुनवाई प्राकृतिक न्याय के नियमों का आवश्यक तत्व नहीं है। इसलिए जब प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू किया जाता है तो व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकारी नियम 8 के तहत कारण बताओ नोटिस देने के बाद विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त करता है, छोटी सजा देता है, तो व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होने पर प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता है और ऐसे मामले में नियमों के नियम 8 का अनुपालन किया जाता है। अक्षरश: और भाव दोनों के साथ।

(पैरा 19 और 20).

दूसरा, जहां कोई जांच नहीं हुई है और निलंबन के बाद दोषी अधिकारी को बहाल कर दिया गया है, और ऐसी बहाली पर निलंबन की अवधि के दौरान इस अधिकारी की परिलब्धियों में कटौती की जाती है, तो उसे यह दिखाने का अवसर देना आवश्यक है- प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण. हालाँकि, ऐसी कोई आवश्यकता तब उत्पन्न नहीं होती जब एक नियमित जांच पहले ही आयोजित की जा चुकी हो जिसमें उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में खुद का बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो और जांच समाप्त होने पर उसे नियम के तहत पारित आदेश के साथ बहाल कर दिया गया हो। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें देय वेतन और भत्ते की राशि के संबंध में पंजाब सिविल सेवा नियमों के 7.3। ऐसे मामले में निलंबन की अवधि के लिए उसे भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों से संबंधित आदेश को वैध रूप से परिणामी आदेश कहा जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास अधिकारी के स्पष्टीकरण सहित जांच कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि निलंबन

पूरी तरह से उचित है या नहीं। जांच के बाद नियम 7.3 के तहत पारित आदेश और दोषी अधिकारी की बहाली को परिणामी आदेश कहा जाएगा।

(पैरा 21).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, प्रार्थना वह सर्टिओरीरी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश की प्रकृति में एक रिट या प्रतिवादी के 27 तारीख के विवादित आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी किया जाए फरवरी, 1967 और उन्हें पूरा वेतन और भत्ते देने का निर्देश दिया 31 मई, 1963 से जून, 1966 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता।

याचिकाकर्ता के वकील राजिंदर सच्चर और एस. पी. गोयल।

आनंद स्वरूप, महाधिवक्ता, हरियाणा, आई.एस. संत के साथ, उत्तरदाताओं के लिए वकील।

सोढ़ी, जे.-यह रिट याचिका 27 फरवरी, 1967 की एक ही तारीख के दो आदेशों के खिलाफ निर्देशित है, रिट याचिका के साथ दायर अनुलग्नक ए-17 और ए-18, जिसके तहत हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश दिया था कि निंदा का दंड लगाया जाए। याचिकाकर्ता और उसे 31 मई, 1963 से 6 जनवरी, 1966 तक उसके निलंबन की अवधि के दौरान उसके निर्वाह भत्ते के रूप में पहले से ही भुगतान की गई राशि से अधिक कुछ भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी थी। अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में मानी जाएगी।

(2) याचिकाकर्ता कार्यकारी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. है। (सिंचाई शाखा) हरियाणा राज्य को आवंटित। वह 4 जुलाई, 1939 को पंजाब सिंचाई विभाग में अस्थायी अभियंता के रूप में शामिल हुए और बाद में 2 मई, 1952 को उन्हें कार्यवाहक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया। नरवाना सर्कल में एक श्री के.आर. शर्मा, अधीक्षण अभियंता कार्यरत थे, और याचिकाकर्ता को इस पद पर तैनात किया गया था। 8 अक्टूबर, 1953 को उनके निजी सहायक। श्री के.आर. शर्मा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 4 जुलाई, 1954 को एक मामला दर्ज किया गया था, श्री सतदेव खन्ना, उप -विभागीय अधिकारी एवं कुछ अन्य अधिकारी। याचिकाकर्ता भी उस मामले में एक आरोपी व्यक्ति था, जिसे 30 दिसंबर, 1954 को गिरफ्तार किया गया और उसी तारीख से निलंबित कर दिया गया। बेशक, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जब सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की तब भी वह जमानत पर थे। नवंबर, 1956 में एक जांच शुरू की गई और याचिकाकर्ता को पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1952 के नियम 7.2 के तहत एक आरोप पत्र दिया गया, जिसे इसके बाद अनुशासनात्मक नियम कहा जाएगा। उनके ख़िलाफ़ दो आरोप थे, जिन्हें आरोप संख्या 1(ए) और आरोप संख्या 1(बी) के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आरोप संख्या 1(ए) याचिकाकर्ता द्वारा कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिखाने के लिए उनसे अवैध परितोषण की कथित मांग से संबंधित

है और उसने वास्तव में 17 जनवरी, 1954 को परितोषण स्वीकार कर लिया था, जब उसने निरीक्षण किया था। टांगरी बांध. उसके द्वारा ली गई कथित राशि लगभग रु. 2,000. अन्य आरोप संख्या 1(बी), जो अकेले इस मामले के लिए प्रासंगिक है, यह था कि याचिकाकर्ता ने अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिनियुक्त होने पर 1 अक्टूबर, 1953 को सरस्वती फीडर का निरीक्षण किया और ठेकेदारों से रुपये की दर से अवैध परितोषण की मांग की। उनके लिए मिट्टी के काम की ऊंची दर स्वीकृत करवाने के लिए प्रति बुर्जी 500 रु. दिए गए, जिससे सरकार को लगभग 500 रुपए का नुकसान हुआ। रु. 32,000. यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में एक राशि स्वीकार की थी। रुपये का जिन ठेकेदारों के नाम आरोप-पत्र में उल्लिखित थे, उनसे 9,000 रु.

(3) याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर, 1956 को दोनों आरोपों का जवाब दिया और उसका विस्तृत विवरण रिट याचिका के साथ संलग्नक ए-3 है। उनका बचाव बताना ज़रूरी नहीं है, हालाँकि यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। आरोप संख्या 1(बी) के संबंध में, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता से कोई कथित अत्यधिक दर स्वीकृत नहीं कराई गई थी, जिन्होंने खुद को संतुष्ट करने के बाद ही इसे मंजूरी दी थी।

(4) श्री रतन सिंह गुलेरिया को अक्टूबर, 1957 में किसी समय जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 18 फरवरी, 1558 को याचिकाकर्ता को कार्यवाहक कार्यकारी अभियंता के पद से एक अस्थायी अभियंता के पद पर वापस कर दिया गया था। उन्होंने इस आदेश को एक सिविल मुकदमे में चुनौती दी, जहां उनके दावे पर फैसला सुनाया गया और मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि अपील उच्च न्यायालय में लंबित है और वर्तमान रिट याचिका के प्रयोजनों के लिए कोई भी याचिका दायर करना आवश्यक नहीं है। उस मामले में दलीलों का संदर्भ। जांच अधिकारी श्री गुलेरिया ने आरोप संख्या 1(ए) के संबंध में अभियोजन साक्ष्य दर्ज किए और आरोप संख्या 1(बी) के संबंध में लगभग सोलह गवाहों की जांच की गई, लेकिन बाद के आरोप के संबंध में शेष जांच स्थगित कर दी गई। श्री गुलेरिया ने अपनी रिपोर्ट केवल आरोप संख्या 1(ए) के संबंध में प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें जांच अधिकारी द्वारा इस आरोप से बरी कर दिया गया था।

(5) याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 15 में विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उनका मानना है कि श्री गुलेरिया द्वारा आरोप संख्या 1 (ए) के संबंध में की गई जांच में उन्हें बरी कर दिया गया था और दूसरी ओर, सख्तियां पारित की गई थीं उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष पर। इस आरोप के विरुद्ध राज्य का उत्तर इन शब्दों में है-

"याचिकाकर्ता को आरोप 1(ए) के संबंध में बरी कर दिया गया था। इस बात से इनकार किया गया है कि अभियोजन के खिलाफ सख्त आदेश पारित किए गए थे। जांच अधिकारी ने इस टिप्पणी के साथ अपने

निष्कर्षों का निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष स्वतंत्र विश्वसनीय द्वारा आरोपों को स्थापित करने में सक्षम नहीं है प्रमाण।"

(6) इस संबंध में रिट याचिका के साथ दायर अनुलग्नक ए-7 का संदर्भ भी दिया जाना आवश्यक है। यह 25 जुलाई 1960 को पंजाब सरकार के सचिव द्वारा भेजा गया एक पत्र है। सतर्कता विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को आरोप संख्या 1(बी) के संबंध में बर्खास्तगी की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया गया। उस पत्र के अंतिम भाग में यह कहा गया है:-

"आपकी जानकारी के लिए यह जोड़ा गया है कि जांच अधिकारी के रूप में श्री रतन सिंह गुलेरिया द्वारा जांच किए गए आरोप 1 (ए) के आधार पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।"

(7) अब यह जांचना व्यर्थ है कि क्या याचिकाकर्ता को आरोप संख्या 1 (ए) के तहत दोषमुक्त किया गया था या नहीं, जब राज्य द्वारा श्री पी.एन. भल्ला के हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित रिटर्न में इस आशय की स्वीकृति है। , सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आरोप संख्या 1(ए) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, लेकिन केवल आरोप संख्या 1(बी) के तहत कार्रवाई करना चाहती थी। नतीजतन, अप्रैल, 1959 में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि श्री गोबिंदर सिंह को आरोप संख्या 1(बी) के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने कुछ रिपोर्टें मांगी थीं जो उसे नहीं दी गईं। इस जांच के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया था और उसने उच्च न्यायालय में 1961 की सिविल रिट संख्या 1059 को प्राथमिकता दी थी जिसमें 4 मार्च, 1963 को यह निर्णय लिया गया था कि याचिकाकर्ता को पिछले बयानों की प्रतियां प्रदान करना आवश्यक था। अभियोजन पक्ष के गवाहों की. मामले को ध्यान में रखते हुए, उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और 4 मार्च, 1963 को पारित इस न्यायालय के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया।

(8) पंजाब सरकार ने अपने आदेश, दिनांक 31 मई, 1963 द्वारा, याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच को कानून के अनुसार पूरा करने के लिए एक अन्य जांच अधिकारी श्री आर एल नरूला को उचित अवसर देने के बाद नियुक्त किया। उच्च न्यायालय. याचिकाकर्ता, जो निलंबित था, को उच्च न्यायालय के फैसले के कारण बहाल कर दिया गया था, लेकिन जब श्री नरूला द्वारा जांच के आदेश दिए गए तो उसे फिर से निलंबित कर दिया गया। इस आशय का पंजाब के राज्यपाल का आदेश रिट याचिका के साथ संलग्नक ए-9 है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के 31 मई, 1963 के आदेश को फिर से 8 दिसंबर, 1964 के एक अन्य आदेश से हटा दिया गया था, जिसके तहत श्री हरनारायण सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, गुड़गांव थे। इसके स्थान पर अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त एक जांच अधिकारी नियुक्त किया श्री आर.एल. नरूला का। 15 तारीख को यह आदेश

भी निरस्त कर दिया गया दिसंबर, 1965, जब श्री एस.एस. सोढ़ी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

(9) हालाँकि, याचिकाकर्ता को 7 जनवरी 1966 को पारित राज्य सरकार के एक आदेश द्वारा बहाल कर दिया गया था, जिसे रिट याचिका के साथ अनुबंध ए-12 के रूप में दायर किया गया था, हालांकि इस आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बहाली होनी थी। किसी भी अंतिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ उस समय लंबित विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप लिया जा सकता है। श्री सोढ़ी के समक्ष अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने जांच वापस ले ली थी। विद्वान महाधिवक्ता ने मेरे सामने मूल रिकॉर्ड पेश किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी लेकिन उनकी जिरह अभी तक शुरू नहीं हुई थी। इससे पहले की जांच में 63 गवाहों से पूछताछ की गई थी. श्री एस.डी. खन्ना, एक सहयोगी, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, मामले के गवाहों में से एक था और वह 4 अगस्त, 1967 तक अध्ययन अवकाश पर विदेश चला गया था। परिणामस्वरूप उचित समय के भीतर जांच को अंतिम रूप दिए जाने की कोई संभावना नहीं थी। . प्रशासनिक विभाग का विचार था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला अच्छा लग रहा है और सजा भी हो सकती है। याचिकाकर्ता 18 दिसंबर, 1966 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला था, इसलिए प्रशासनिक विभाग ने उसे सामान्य नोटिस देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया और, इस पृष्ठभूमि में उस पर नाबालिग होना अधिक समीचीन समझा गया। दंड केवल और जांच वापस ले लें।

(10) जांच कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने श्री सत देव खन्ना, उप-विभागीय अधिकारी, जो आपराधिक मामले में एक अनुमोदक थे, के बयान की एक प्रति मांगी थी और जांच अधिकारी ने आदेश दिया था कि वही याचिकाकर्ता को आपूर्ति की जाए, लेकिन ऐसा होने से पहले ही सरकार ने अपना मन बदल लिया और जांच वापस लेने का फैसला किया।

(11) निंदा के माध्यम से छोटी सजा देने के लिए, राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक नियमों के नियम 8 के तहत याचिकाकर्ता को 26 अक्टूबर 1966 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से पहले फिर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए श्री सत देव खन्ना के बयान की एक प्रति मांगी, लेकिन इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह आवश्यक नहीं था। वर्तमान कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रति प्रदान करना। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। दस टाइप किए गए पृष्ठों को कवर करते हुए विस्तृत विवरण दिया गया और उन्होंने आरोप के हर पहलू को विस्तार से निपटाया। स्पष्टीकरण केवल आरोप संख्या 1(बी) से संबंधित है और याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में कहा कि वह केवल आरोप संख्या 1(बी) के लिए अपना स्पष्टीकरण दे रहा था, क्योंकि उसे आरोप संख्या 1(ए) के संबंध में दोषमुक्त कर दिया गया था। .

(12) याचिकाकर्ता द्वारा श्री सत देव खन्ना, उप-विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में अवैध परितोषण की मांग से संबंधित आरोप-पत्र, और याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के समक्ष श्री खन्ना के बयानों का उल्लेख किया। उन्होंने उन अधिकारियों के समक्ष श्री खन्ना के बयानों में विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने अपना मामला समझाने के लिए एक व्यक्तिगत साक्षात्कार भी मांगा। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें राज्य सरकार से जवाब मिला कि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया और तदनुसार हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश दिया कि उन पर निंदा का दंड लगाया जाए। अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को दिए जाने वाले भत्तों के मामले में पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड।, भाग।, जिसे इसके बाद नियम कहा जाएगा, के नियम 7.3(3) के तहत कार्रवाई करने के लिए याचिकाकर्ता से कोई अलग स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। 31 मई, 1963 से 6 जनवरी, 1966 तक उनका निलंबन।

(13) इन परिस्थितियों में, हरियाणा के राज्यपाल के निंदा दंड लगाने और याचिकाकर्ता को उसकी निलंबन अवधि के दौरान देय परिलब्धियों का निर्धारण करने के आदेशों को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(14) मामले का इतिहास निस्संदेह उतार-चढ़ाव वाला है लेकिन इसमें शामिल बिंदु काफी सरल हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राजिंदर सच्चर का तर्क यह है कि नियम 7 के तहत जांच शुरू करने के बाद, इसे वापस लेना और नियम 8 के तहत मामूली सजा देकर कार्रवाई करना सरकार के लिए खुला नहीं था, जो इसमें याचिकाकर्ता के लिए उसकी भविष्य की पदोन्नति के मामले में गंभीर परिणाम शामिल हैं। श्री सच्चर ने आगे कहा कि निंदा करने वाला विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां निष्कर्ष केवल व्यक्तिपरक डेटा पर आधारित है, जिसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दलील यह है कि अनुशासनात्मक नियमों के नियम 8 के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का अवसर देते हुए किसी प्रकार की जांच करे, ताकि वह कुएं के अनुरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्थापित मानदंड।

(15) याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते के मामले में निर्णय के विरुद्ध, यह आग्रह किया गया है कि उसे एक अलग कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि उसे सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर मिल सके। उनका निलंबन पूरी तरह से अनुचित था, और ऐसा नहीं किए जाने पर वह निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते पाने के हकदार थे। वह सुप्रीम कोर्ट के एम. गोपालकृष्ण नायडू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1) के फैसले पर भरोसा करते हैं, जहां मौलिक नियमों का नियम 54 है, जो नियमों के नियम 7.3(2) के समान है। विचार एवं व्याख्या की जा रही थी।

(16) मैं पहले नियम 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता के संबंध में विवाद का निपटारा कर सकता हूं और क्या याचिकाकर्ता को उक्त के तहत उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के संबंध में तत्काल मामले में उचित अवसर प्रदान किया गया था या नहीं। नियम। अनुशासनात्मक नियमों के नियम 7 और 8 में संचालन का क्षेत्र पूरी तरह से अलग है और वे एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। यह तर्कसंगत रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि एक बार सरकार बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या रैंक में कटौती की बड़ी सजा देने का फैसला करती है और नियम 7 के तहत कार्यवाही शुरू करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 311 में अपेक्षित समान जांच की परिकल्पना करती है, तो यह नहीं है वह उस जांच को रद्द कर सकता है और निंदा, वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकने, निचले पद पर या समय-मान में निचले स्तर पर कटौती, पूरे वेतन या आंशिक वेतन से वसूली के रूप में मामूली सजा देने का निर्णय ले सकता है। मामले की परिस्थितियों के अनुसार लापरवाही और आदेशों के उल्लंघन या निलंबन आदि से सरकार को होने वाली कोई भी आर्थिक हानि। नियम 8 में शब्द 'नियम 7 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना' वही हैं जो नियम 7 में इस्तेमाल किए गए हैं, जहां यह लिखा है 'लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1950 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। श्री सच्चर का तर्क है कि ऑपरेटिव इन नियमों का एक हिस्सा 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' समान अभिव्यक्तियों से पहले है और इरादा यह है कि एक बार कानून के एक प्रावधान के तहत कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसे दूसरे के तहत नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे डर है कि इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' इस अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य केवल यह है कि राज्य सरकार इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकती है और एक के तहत कार्रवाई दूसरे को रोकती नहीं है। 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' शब्द का तात्पर्य केवल इतना है कि नियम 8 को नियम 7 के संचालन को नुकसान पहुंचाए बिना कार्यान्वित किया जाना चाहिए और नियम 7 या 8 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं यह पूरी तरह से विवेक के अधीन है। सक्षम प्राधिकारी का. श्री सच्चर उद्धृत नहीं कर पाये हैं। अपने तर्क के समर्थन में कोई भी निर्णय लिया गया मामला। नियम 8 की ऐसी कोई भी व्याख्या, जैसा कि श्री सच्चर द्वारा सुझाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 310 में निहित संवैधानिक प्रावधान के विपरीत होगी, जिसके अनुसार किसी राज्य या भारत संघ की सिविल सेवा में एक अधिकारी जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की मर्जी तक उसका पद। राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह संवैधानिक अधिकार केवल अनुच्छेद 311 के प्रावधानों या किसी वैधानिक नियम के अधीन है जो ऐसे अधिकारी की सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाया जा सकता है। मामूली जुर्माना लगाना, जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण साबित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति के भीतर है, इस शर्त के साथ कि ऐसा कोई भी जुर्माना लगाने से पहले, दोषी अधिकारी को उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक नियमों के नियम 8 के तहत अभ्यावेदन करें।

(17) श्री सच्चर का अगला निवेदन कि नियम 8 भी कुछ प्रकार के वस्तुनिष्ठ डेटा को इस अर्थ में पेश करता है कि एक जांच होनी चाहिए ताकि याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का अवसर मिल सके, वह भी इससे रहित है। बल। संभवतः इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि एक अपराधी अधिकारी के लिए इस अनुशासनात्मक नियम के तहत लगभग उसी जांच का दावा करने का अधिकार है जैसा कि अनुशासनात्मक नियमों के नियम 7 या संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत विचार किया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है जैसा कि देखा गया है नरूला, जे. द्वारा कल्याण सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2), और ग्रोवर, जे. द्वारा आर. डी. रावल, प्रभागीय वन अधिकारी बनाम पंजाब राज्य (3) में, वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं। नरूला, जे. द्वारा नियम 7 और 8 के बीच अंतर को बहुत संक्षेप में बताया गया है और मैं उससे सम्मानजनक सहमत हूं। नियम 8 को सार रूप में उसी प्रावधान को शामिल करने वाला माना गया है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के बाद के भाग में पाया जाता है। यह सच है कि मामूली जुर्माना लगाने के प्रस्तावित खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर की आवश्यकता में कथित अपराध और सजा की मात्रा दोनों के खिलाफ एक अवसर शामिल है और यह होना ही चाहिए। असली। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नियम 7 द्वारा सोची गई तर्ज पर ही जांच की जानी है। बस इतना आवश्यक है कि अपराधी अधिकारी को उस मामले की जानकारी होनी चाहिए जिसमें उसे मिलना है, जिसमें उस सामग्री या साक्ष्य का विवरण भी शामिल होना चाहिए जिस पर उसके खिलाफ मामला आधारित है। यह केवल एक अवसर है-
प्रतिवेदन देने की धुन, न कि अपराधी अधिकारी गवाहों को बुलाने, उनसे जिरह करने और फिर संविधान के नियम 7 या अनुच्छेद 311 के तहत विस्तृत जांच के अनुसार निष्कर्ष की उम्मीद करने का अधिकार है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां यह कहा जा सकता है कि उचित अवसर देने से इनकार कर दिया गया है, जैसा कि नरूला, जे. से पहले के मामले में था, जहां शिकायत की प्रति जिस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था, संबंधित अधिकारी को प्रदान नहीं की गई थी। हमारे सामने आए मामले में, याचिकाकर्ता पर लगाया गया आरोप संख्या 1(बी), जिसके लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव था, बहुत स्पष्ट था और पूर्ण विवरण देते हुए सबसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने ऊपर आरोपित प्रत्येक परिस्थिति का बहुत विस्तृत एवं विस्तृत उत्तर दिया गया। यह अलग बात है कि सरकार ने उस स्पष्टीकरण को संतोषजनक माना या नहीं। संभवतः मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये गये उपखण्ड अधिकारी श्री सतदेव खन्ना के बयान की प्रति न दिये जाने के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कुछ कहा जा सकता है। हालाँकि, विद्वान महाधिवक्ता ने मुझे नियम 8 के तहत कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण से अवगत कराया है और उस स्पष्टीकरण को

पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के पास न केवल इसकी एक प्रति थी। श्री खन्ना का पुलिस के समक्ष दिया गया बयान तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया उनका बयान भी। मुझे विभिन्न बयानों के बीच विभिन्न विरोधाभासों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस पर अपने स्पष्टीकरण में बताया है। जब उनके पास ये प्रतियां थीं और वे अभी भी सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली एक प्रति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः प्रस्तावित कार्रवाई में देरी करने के लिए ऐसा कर रहे थे। केवल इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि नियम 8 के तहत उन्हें कारण बताने के लिए बुलाए गए सरकार के मूल पत्र में 1956 के उनके स्पष्टीकरण का भी संदर्भ दिया गया था, जब अपराधी अधिकारी के लिए पूरा मामला स्पष्ट था और वह जानते थे कि उक्त नोटिस केवल आरोप 1(बी) से संबंधित था और उन्होंने उस संबंध में पूरे विस्तार से अपना स्पष्टीकरण पेश किया। प्राकृतिक न्याय के नियमों को तकनीकी नियमों के रूप में लागू करने का इरादा नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से यह देखना है कि प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को उचित अवसर मिले और उसके पास आवश्यक दस्तावेज हों।

(19) श्री सच्चर का अगला तर्क है कि नियम 8 के तहत एक व्यक्तिगत। सुनवाई दी जानी आवश्यक थी और चूंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए निंदा लगाने का आदेश निष्प्रभावी हो गया। मुझे डर है कि मैं इस विवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकता। नरूला, जे. के समक्ष मामले के तथ्य। (कल्याण सिंह का मामला सुप्रा) (2), पूरी तरह से अलग थे। डेलीन- उस मामले में, क्वेंट अधिकारी ने कॉम की एक प्रति प्रदान नहीं की थी- वादपत्र और इसी संदर्भ में विद्वान न्यायाधीश ने अवलोकन किया प्रतिलिपि की आपूर्ति न करने के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई से इनकार करने से उस अधिकारी को उचित अवसर से वंचित कर दिया गया। श्री सच्चर किसी भी औचित्य के साथ यह तर्क नहीं दे सकते कि विद्वान न्यायाधीश ने सुस्थापित प्रस्ताव के विपरीत यह निर्णय देने का इरादा किया है कि किसी भी वैधानिक प्रावधानों के अभाव में व्यक्तिगत सुनवाई प्राकृतिक न्याय के नियमों का एक आवश्यक तत्व नहीं है। विभिन्न प्राधिकारियों का यह कहना आवश्यक नहीं है कि जब प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू किया जाता है तो व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक नहीं होती है और इस संबंध में केवल ए.के. गोपालन बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। मद्रास राज्य (4).

(20) राज्य जो सजा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी था, ने कारण बताओ नोटिस दिया, याचिकाकर्ता का विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त किया, जिससे वह संतुष्ट नहीं था और उसके बाद ही निंदा की मामूली सजा दी गई। थोपा। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अनुशासनात्मक नियमों के

नियम 8 का अक्षरशः और भावनापूर्वक पालन किया गया है। श्री सच्चर यह सज़ा देने में सरकार की ओर से कोई दुर्भावना नहीं दिखा सके हैं। वास्तव में, उन्होंने इस तरह के किसी भी तर्क को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया, सिवाय इसके कि उन्होंने आधे-अधूरे मन से कहा कि कानून में दुर्भावना थी क्योंकि सरकार ने अपनी कार्रवाई की दिशा बदलने का फैसला किया और खुद को नियम 7 के तहत बड़ी सजा देने में असमर्थ पाया। , इसने नियम 8 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मेरी राय में, यह सिर्फ नियम 8 का इरादा है कि इस सवाल के अलावा कि क्या बड़ी सजा देने का मामला बनता है या नहीं, एक छोटी सजा दी जा सकती है सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी पर, लेकिन उसे अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देने के बाद ही। नियम 7 के तहत कार्यवाही को समाप्त करना और नियम 8 के तहत कार्रवाई करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था।

(21) श्री सच्चर का अंतिम तर्क यह है कि नियम 7.3 के तहत याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का एक अलग अवसर दिए बिना निलंबन की अवधि के लिए उसकी पूरी परिलब्धियों से इनकार करने का आदेश अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (एम. गोपाल कृष्ण नायडू का मामला सुप्रा) (1), जिस पर श्री सच्चर ने भरोसा किया, स्पष्ट रूप से अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक नियम 54(2) और 54(3) की भाषा पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 7.2 और 7.3 के समान है, लेकिन मामले के तथ्य इससे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रभुत्व पूरी तरह से अलग था। के कारण से मामले में, कहा गया था कि अधिकारी को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि आरोपों की कुछ जांच की जानी थी, लेकिन अंततः ये कार्यवाही बंद कर दी गई और उसे बहाल कर दिया गया और ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति दी गई। इसलिए, याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्राधिकारी को यह दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया गया कि उसका निलंबन पूरी तरह से अनुचित था और वह पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उस पर निंदा की सजा क्यों न दी जाए और उसने विस्तृत जवाब दिया। यदि इस उत्तर पर विचार करने पर राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामूली सजा का मामला बनता है, तो याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने के कारण आक्षेपित आदेश एक आवश्यक परिणाम था। मेरी राय में, याचिकाकर्ता को नया कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक नहीं था। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां कोई जांच नहीं हुई हो और निलंबन के बाद दोषी अधिकारी को बहाल कर दिया गया हो। यदि ऐसी बहाली पर निलंबन अवधि के दौरान इस अधिकारी की परिलब्धियों में कटौती की जाती है, तो उसे प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर देना आवश्यक है। हालाँकि, ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है, जब एक जांच पहले ही आयोजित की जा चुकी हो जिसमें उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में खुद का बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो और जांच समाप्त

होने पर उसे नियम के तहत पारित आदेश के साथ बहाल कर दिया गया हो। 7.3 निलंबन अवधि के दौरान उन्हें देय वेतन एवं भत्ते की राशि के संबंध में। ऐसे मामले में निलंबन की अवधि के लिए उसे भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों से संबंधित आदेश को वैध रूप से परिणामी आदेश कहा जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास अधिकारी के स्पष्टीकरण सहित जांच कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि निलंबन पूरी तरह से उचित था या नहीं। जांच के बाद नियम 7.3 के तहत पारित आदेश और दोषी अधिकारी की बहाली को परिणामी आदेश कहा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने एम. गोपाल कृष्ण नायडू के मामले (1) में इस अंतर को मान्यता दी है। मैं मालविंदरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) में पी. सी. पंडित, जे. द्वारा की गई टिप्पणियों से भी सम्मानजनक सहमत हूं, जहां लगभग समान परिस्थितियों में उठाए गए इस तरह के विवाद को विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने आदेश दिया था। नियम 7.3 एक परिणामी क्रम होगा।

(22) वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अवश्य ही यह माना जाएगा कि उसे दिखाने का उचित अवसर दिया गया है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रामनीक कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा